कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.
भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011
दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक नि.वि.1/समूह-2/डी – 189 दिनांक 31 .05.2021

प्रति,

वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/
संभागीय लेखा अधिकारी -1/2 एवं
संभागीय लेखापाल

विषय: आर.ए./आई/सी.पी.डी-I. एवं II परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए अतिरिक्त अवसर एवं विभागीय परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में लेखा परीक्षा एवं लेखा विनियम 2020 का समावेश के सम्बन्धमें प्राप्त दिशा-निर्देश|

सन्दर्भ: मुख्यालय कार्यालय के परिपत्र क्र. 03, संख्या 159/03-परीक्षा/अतिरिक्त अवसर/2016 खंड.1 दिनांक 13.04.2021 एवं परिपत्र क्र.04, संख्या 188/14-परीक्षा/पाठ्यक्रम संशोधन/18 दिनांक 10.05.2021 |

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्यालय कार्यालय के परिपत्र क्र.03, संख्या 159/03-परीक्षा/अतिरिक्त अवसर/2016 खंड.1 दिनांक 13.04.2021 एवं परिपत्र क्र.04 , संख्या 188/14-परीक्षा/पाठ्यक्रम संशोधन/18 दिनांक 10.05.2021 की छायाप्रति सूचनार्थ संलग्न प्रेषित है |

संलग्न: उपरोक्तानुसार

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
10 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI – 110124

Examination Wing

Circular No. 04 of 2021

(Only for IA & AD)

No. 188/14-Exam/Syllabus Revision/2018
Dated: 10/05/2021

To

Heads of Department of IA&AD offices
(As per standard e-mail list)

Subject: **Incorporation of Regulations on Audit and Accounts 2020 in Syllabus of Departmental Examinations**

Madam/Sir,

The "Regulations on Audit and Accounts (Amendment) 2020" has come into force with effect from 5th August 2020.

Therefore, the **Regulations on Audit and Accounts 2020** has been incorporated in the Syllabus of all Departmental Examinations in place of Regulations on Audit and Accounts 2007, and/or all earlier editions with immediate effect.

This may be brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

(Manish Kumar)
Director General (Exam)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110124

परीक्षा अनुभाग

2021 का परिपत्र सं.03

(केवल भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए)
संख्या 159/03-परीक्षा/अतिरिक्त अवसर/2016 खण्ड.I
दिनांक: 13/04/2021

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः आरए/आई/सीपीडी-I एवं II परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए अतिरिक्त अवसर।

महोदया/महोदय,

मौजूदा प्रणाली के तहत आरए/आई/सीपीडी परीक्षा पास करने के लिए अनुमत अवसरों की संख्या 6 (छः) हैं। अवसर तब गिना जाता है जब एक अभ्यर्थी एक विशिष्ट परीक्षा के लिए पंजीकरण करता है।

कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, राजस्व लेखापरीक्षा/प्रोत्साहन/सतत व्यावसायिक विकास, चरण-I एवं II परीक्षाएं (आरए/आई/सीपीडी-I एवं II) वर्ष 2020 में आयोजित नही की जा सकी थी। इसके अलावा, इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों के साथ साथ सेवा संघों से भी विभिन्न आधारों पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है।

उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत, सक्षम प्राधिकारी ने आरए/आई/सीपीडी-I एवं II परीक्षाओं के मौजूदा अभ्यर्थियों, जिन्होंने सभी अनुमत छः अवसर समाप्त कर दिए है, किन्तु परीक्षा पास नही कर पाए, के लिए **एकल अवसर** के रूप में **दो अतिरिक्त अवसरों** का लाभ लेने की अनुमति दी है। इन **दो** अतिरिक्त अवसरों का लाभ **दो वर्षो (2021 एवं 2022) अर्थात 2021 की परीक्षा-I से चार परीक्षाओं में लिया जाना चाहिए।**

भवदीय,

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)
महानिदेशक (परीक्षा)

AO/WMS $ OE